(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 614–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–13 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) प्रकरण कमांक 89/अ–19/2011–12/स्वप्रेरित निगरानी.

महेश कुमार मांगीलाल दांगी
निवासी ग्राम खेड़ी
तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– कृष्ण वल्लभ पिता अमरचंद
निवासी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ .....अनावेदकगण

श्री एम0के0 सक्सेना, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ द्वारा दिनांक 8–8–2011 को कलेक्टर, राजगढ़ को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि मिसल बंदोबस्त राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे कमांक 843/19/1, 843/2 रकबा कमशः 0.506, 0.088 हेक्टेयर भूमि आवेदक के नाम पटवारी अभिलेख में अंकित पाई गई है, जबकि मिसल बंदोबस्त अनुसार उक्त भूमि शासकीय अंकित है । प्रकरण में संलग्न रजिस्ट्री अनुसार अनावेदक कमांक 2 कृष्ण वल्लभ द्वारा आवेदक महेश कुमार को विकय की गई है । प्रश्नाधीन शासकीय भूमि किस आधार पर कय एवं विकय की गई है, इसका कोई प्रमाण/सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं है, और न ही प्रश्नाधीन भूमि के विकय की

अनुमति सक्षम अधिकारी से ली गई है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन क आधार पर अपर कलेक्टर, राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 89/अ–19/2011–12/स्वप्रेरित निगरानी दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 16–9–13 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा किया गया नामान्तरण अवैध, अनियमित तथा संहिता में निहित प्रावधानों के विपरीत मानकर निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि अनावेदक कमांक 2 कृष्ण वल्लभ ने चतुर्भुज, जगदीश, राजू पुत्रगण गोरेलाल, सरजूबाई बेवा गोरेलाल से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29–8–2000 द्वारा कय की है । विकेता के पूर्व राजस्व अभिलेख में सन् 1980 से स्व. गोरेलाल का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित चला आ रहा है । विशेषतः जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में जांच नहीं की है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा किस प्रकरण एवं किस आदेश द्वारा दिया गया है । बिना पट्टे का प्रकरण बुलाये अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) गोरेलाल प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी सन् 1980 के पूर्व से राजस्व अभिलेख में अंकित था । गोरेलाल की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी चतुर्भुज, जगदीश, राजू पुत्रगण गोरेलाल, सरजूबाई बेवा गोरेलाल भूमि के भूमिस्वामी हुए । प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता की धारा 158 (3) एवं 165 (7)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि संहिता की धारा 165 (7)(ख) सन् 1980 में संहिता की धारा 158 (3) सन् 1992 में प्रस्थापित किये गये हैं । उक्त प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । उपरोक्त प्रावधान सन् 1980 के उपरान्त पट्टेदार से बने भूमिस्वामियों को लागू होते हैं न कि सन् 1980 के पूर्व के पट्टाधारी या पट्टाधारी से बने भूमिस्वामियों को । पट्टेदार से बने भूमिस्वामी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(3) स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग कुछ माह में किया जा सकता है, न कि वर्षो बाद ।

तर्कों के समर्थन में 2013 आर.एन. 08 (उच्च न्यायालय), 2014 आर.एन. 168, 2014 आर.एन. 196, 2011 आई.एल.आर. एम.पी. पेज 1, 2011 आर.एन. 186, 1998 एम.पी (2) 26 (सु.को.) एवं 1990 आर.एन. 407 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा शासकीय पट्टे की भूमि कय किया गया है और पट्टेदार अनावेदक कमांक 2 द्वारा पट्टे की भूमि को विकय करने की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है । तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये विकय पत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, अतः अपर कलेक्टर का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर